

01-7-19

वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली शीघ्र तलब की गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण को अपने विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तथा नया सा-पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए इस प्रार्थना पत्र में इस स्टेज पर कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को विहल करवाना चाहता हूँ।

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी को सुना गया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को प्रार्थी के विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकरण को प्रत्याहति करने की अनुमति दी जाती है। प्रकरण इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मन्वर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

सत्यभूषण लोवाड़ी
उपखण्ड अधिकारी
11/7/19
(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी